"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 1 फरवरी 2011—माघ 12, शक 1932

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2011

आदेश

क्रमांक एफ-4-3/दो/गृह-सी/2002.—यत: राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किया जाने का प्रतिषेध किया जाये.

अतएव छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (क्र. 10 सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किये जाने का, तारीख 10 फरवरी, 2011 से प्रतिषेध करती है.

अनुसूची

"राज्य के माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षाओं से संबंधित सभी कार्यों के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति (पर्सनेल)"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2011

क्रमांक एफ-4-3/दो/गृह-सी/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-3/दो/गृह-सी/2002, रायपुर दिनांक 01-02-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव.

Raipur, the 1st February 2011

ORDER

No. F-4-3/Two/Home-C/2002.—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential services specified in the schedule below ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Chhattisgarh Atyavashyak Seva Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979), the State Government hereby prohibits refusal to work in the essential services specified in the schedule with effect from 10 February, 2011.

SCHEDULE

"Personnel appointed for all the works relating to the examination of the Board of Secondary Education in the State."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. N. UPADHYAY, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.